रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20042023-245270
SG-DL-E-20042023-245270

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 24
No. 134]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945	[N. C. T. D. No. 24

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभागः प्रशासनिक शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2023

सं. फा. 4(431)/प्रशा./आरआर/प्रवर्तन संवर्ग/टीपीटी/2012/पार्ट–I/37068.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27(59)–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 3 मार्च, 1989 की अधिसूचना सं. 3(1)/87/प्रशा./टीपीटी/4003 – 4008 एवं दिनांक 08.03.1990 की फा. 3(1)/87/प्रशा./टीपीटी/3626– 3634 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में निरीक्षक(प्रवर्तन) के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–(1)** इन नियमों को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,निरीक्षक (प्रवर्तन) भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :**– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :**– पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :–इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

अनूसूचि

1.	**पदनाम**	:	**निरीक्षक (प्रवर्तन)**
2.	**पदों की संख्या**	:	13 (2023)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –6 (35400–1,12,400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है/ गैर चयन पद है**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य :** योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं **वांछनीय :** योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता मानक टीप : लागू नहीं अनुभव मानक टीप : लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयुः लागू नहीं शैक्षणिक योग्यताः लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	02 वर्ष पदोन्नति के लिये
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	पदोन्नति :– नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 10 वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 में (रू0 25500–81100/–) तथा विभाग द्वारा यथा विनिर्धारित 02 से 04 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले उप – निरीक्षक में से पदोन्नति।

			टीपः– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। मानक टीप : लागू नहीं ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (टी0टी0ई0)– अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव – सदस्य 3. विशेष /अपर सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्याण)– सदस्य विभागीय स्थायीकरण समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (टी0टी0ई0)– अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव – सदस्य 3. विशेष /अपर सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्याण)– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजेन्द्र सिंह रावत, विशेष आयुक्त परिवहन (प्रशा.)

TRANSPORT DEPARTMENT: ADMINISTRATION BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 19th April, 2023

No. F. 4(431)/Admn/RR/Enf.Cadre/TPT/2012/Pt-I/37068.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27(59)-Him(I), dated 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.3(1)/87/-Admn/Tpt/4003-4008 dated 3rd March, 1989 and F.3(1)/87/Admn/Tpt/3626-3634 dated 08.03.1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following recruitment rules for the post of Inspector (Enforcement) in Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Inspector (Enforcement), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix** – The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification** – No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex- Serviceman and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	Inspector (Enforcement)
2.	Number of posts	**13*** (2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification of the post	General Central Service Non-MinisterialNon-Gazetted, Group 'B'
4.	Pay Level in the pay matrix	Level-6, Rs. 35400-112400/- in the pay matrix.
5.	Whether selection post or Non-Selection Post	Selection Post.
6.	Age limit for Direct Recruits	Not applicable.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits	**Essential:** Qualification:N.A. Experience:N.A. **Desirable:** Qualification:N.A. Experience:N.A. Qualification Standard Note:N.A. Experience Standard Note:N.A.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	AGE: N.A. Educational Qualification: N.A.
9.	Period of Probation, if any	02 Years for Promotees.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitments by promotions or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by promotion.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	**Promotion**: Sub-Inspectors in Level 4 (Rs. 25500-81100/-) of the pay matrix with ten years' service in the grade rendered after appoint thereto on a regular basis, and having successfully completed 02 to 04 weeks training as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Standard Note: N.A.
12.	If a DPC exists, What is its composition	**Departmental Promotion Committee** 1. Pr. Secretary/ Secretary (TTE) (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department concerned (member) 3. Special/ Addl. Secretary (Health and Family Welfare)

		(member). **Departmental Confirmation Committee** 1. Pr. Secretary/ Secretary (TTE) (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department concerned (member) 3. Special/ Addl. Secretary (Health and Family Welfare) (member)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitments	"Consultation with UPSC is not necessary".

By Order, and in the Name of the Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,

VIJENDRA SINGH RAWAT, Special Commissioner (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA